उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक : 38142—44/वसूली अभियान/2017—18 दिनांक : 09.05.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

बैंक मुख्यालय के पत्रांक—38098—101/वसूली अभियान/17—18, दिनांक 29.04.17 द्वारा शाखाओं पर कार्यरत शाखा प्रबन्धक एवं अन्य स्टाफ के संबंध में बगैर अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना अवकाश पर रहने तथा मुख्यावास से बाहर जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के संबंध मे सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त परिपत्र को अवक्रमित करते हुए विशेष वसूली अभियान के संबंध में निर्गत परिपत्र सं0—सी—06/वसूली/17—18, दिनांक 12.04.17 के द्वारा जो विशेष निर्देश दिये गये थे के प्रथम पृष्ठ के बिन्दु—2 के अनुसार कारवाई करने हेतु निम्नवत् संशोधन किया जाता है— **"दिनांक 30.06.17 तक शाखा प्रबन्धक सहित किसी की कार्मिक को कोई अवकाश देय नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में शाखा प्रबन्धक का अवकाश प्रबन्ध निदेशक की पूर्व अनुमति से तथा शाखा के अन्य कार्मिकों का कोई भी अवकाश शाखा प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक की पूर्व अनुमति से दिया जा सकेगा।**

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, यदि उक्त निर्देशों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

ह0/—
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उत्तर प्रदश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) को बैंक की शाखाओं को ई—मेल कराने हेतु।

ह0/
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0/वसूली)